भारत सरकार

पोत परिवहन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. **2338** जिसका उत्तर

गुरूवार, **05 मार्च**, 2020/15 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया जाना है

पोतों से प्रदूषण

2338. श्री राम मोहन नायडू किंजरापुः

क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र और अंतर्देशीय जलमार्गों में पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या भारत ने पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण में कमी करने के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री मनसुख मांडविया)

(क) समुद्र और अंतर्देशीय जलमार्गों में पोतों से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमः

- समुद्र में तेल से होने वाले प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण का प्रावधान वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अध्याय XIA में शामिल है। यह प्रावधान इस अधिनियम के तहत पंजीकृत सभी पोतों पर लागू है और इसके अनुपालन की निगरानी एवं विनियमन नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) द्वारा किया जाता है।
- वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 356ई के तहत प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियम, पोतों से उत्पन्न प्रदूषण स्त्रोंतों से समुद्र को होने वाले प्रदूषण के संबंध में कार्रवाई करने के लिए हैं।
- पोतों का निर्माण होते ही यह सुनिश्चित करने के लिए उनका शुरूआती निरीक्षण किया जाता है कि उनमें समुद्र से होने वाले प्रदूषण के निवारण के लिए सभी आवश्यक उपकरण लगाए गए हैं। पोत को प्रचालनरत बनाने के बाद इनका वार्षिक रूप से नियमित अंतराल में आवधिक निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि इनमें लगे हुए प्रदूषण निवारक उपकरण सही चल रहे हैं और जलयान प्रदूषण के निवारण से संबंधित लागू सभी नियमों एवं विनियमों का अनुसरण कर रहा है।
- वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 356जी [धारा 356ई के तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण के सत्यापन हेतु किसी पोत (भारतीय या विदेशी) पर बोर्ड करने के लिए सर्वेक्षक की शक्ति] के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से भारतीय और विदेशी ध्वज जलयानों

के विभिन्न वाणिज्यिक समुद्री विभागों पर तैनात सर्वेक्षकों द्वारा औचक निरीक्षण भी किए जाते हैं।

- अपेक्षाओं का उल्लंघन करने वाले पोतों को उल्लंघन में सुधार करने तक रोक कर रखा जाता है और इन पर रूकाई प्रभार लगाया जाता है।
- पोतों द्वारा प्रचालनात्मक आवश्यकता से जुड़ी विनियामक अपेक्षाओं का उल्लंघन रोकने के लिए वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में धारा 356आई में पोतों से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राप्त करने के लिए रिसेप्शन सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
- वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के संरक्षक होने के नाते डीजीएस ने एक सक्रिय उपाय के रूप में अपशिष्ट रिसेप्शन सुविधाओं के अनुरोध एवं प्रावधान के लिए "स्वच्छ सागर" नामक एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है।
- सलफर ऑक्साईड से होने वाले वायू प्रदूषण को कम करने के लिए, एमएआरपीओएल, अनुबंध VI (वायू प्रदूषण का निवारण) को संशोधित किया गया है और अब इसमें दिनांक 01 जनवरी, 2020 से पोतों पर ऑनबोर्ड उपयुक्त किए गए ईंधन में सलफर की मात्रा अधिकतम 0.5% द्रव्यमान/द्रव्यमान होने की अपेक्षा की गई है। नौवहन महानिदेशालय ने भारतीय पोतों एवं भारतीय पत्तनों पर आने वाले विदेशी पोतों पर इसको लागू करने के लिए इंजीनियरिंग परिपत्र 2019 का 02 जारी किया है।
- अंतर्देशीय जलमार्गों में प्रदूषण के न्रिवारण एवं नियंत्रण के संबंध में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) संबंधित राज्य समुद्री प्राधिकरणों के माध्यम से इसका विनियमन करता है।

(ख) और (ग) जी हां। भारत ने पोतों से होने वाले प्रदूषण के निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (एमएआरपीओएल) पर हस्ताक्षर किए हैं। मारपोल कन्वेंशन में छः (I से VI) अनुबंध हैं और ये अनुबंध क्रमश: पोतों से तेल, हानिकारक तरल पदार्थों, पैक की हुई खतरनाक वस्तुओं, सीवेज, गार्बेज और पोतों से होने वाले वायू प्रदूषण के संबंध में हैं।

इन अनुबंधों के अनुसमर्थन का ब्योरा निम्नानुसार है:

मारपोल अनुबंध	**अनुबंध का शीर्षक**	**भारत द्वारा अनुसमर्थन की तिथि**
I.	तेल से होने वाले प्रदूषण के निवारण संबंधी विनियम	24 सितम्बर, 1986
II.	थोक में हानिकारक तरल पदार्थों से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु विनियम	24 सितम्बर, 1986
III.	समुद्र के रास्ते पैक की गई खतरनाक वस्तुओं से होने वाले प्रदूषण का निवारण	11 जून, 2003
IV.	पोतों से सीवेज के माध्यम से होने वाले प्रदूषण का निवारण	11 जून, 2003
V.	पोतों से गार्बेज के माध्यम से होने वाले प्रदूषण का निवारण	11 जून, 2003
VI.	पोतों से होने वाले वायू प्रदूषण का निवारण	23 नवम्बर, 2011

*****